चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में एण्टी नॉरकोटिक्स टीम प्रयागराज व थाना बरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों 47 किलोग्राम गांजा व चार पहिया वाहन इनोवा कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1.राजू अनुरागी पुत्र रामप्रकाश निवासी नई बस्ती सिचौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

2.रोहित कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी लुकतरा थाना जमालपुर जनपद बांदा

बरामदगी-

1. 47 किलोग्राम गांजा
2. इनोवा कार नं0 CG 04 HD 9900

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनाँक 03.01.2024 को समय सुबह 06.16 बजे एण्टी नॉरकोटिक्स टाक्स फोर्स टीम प्रयागराज को मुखबिर के माध्यम से अंतर्राज्यीय गांजा तस्करो द्वारा गांजे की तस्करी की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर एण्टी नॉरकोटिक्स टाक्स फोर्स टीम द्वारा थानाध्यक्ष बरगढ़ को सूचना से अवगत कराया गया। एण्टी नॉरकोटिक्स टाक्स फोर्स टीम व थाना बरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा बरगढ़ मोड से 700 मीटर दक्षिण की तरफ बहद ग्राम कलचिहा के पास से अभियुक्त 1.राजू अनुरागी पुत्र रामप्रकाश निवासी नई बस्ती सिचौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 2.रोहित कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी लुकतरा थाना जमालपुर जनपद बांदा को मय इनोवा गाड़ी नम्बर CG 04 HD 9900 के साथ गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त राजू अनुरागी से एक अदद मोबाइल सैमसंग गुलावी रंग व 220/- रुपया बरामद हुआ। अभियुक्त रोहित के जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल सैमसंग सिल्वर रंग व 120/- रुपया बरामद हुआ तथा इनोवा गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी की पीछे वाली डिग्गी में चार प्लास्टिक की बोरियो में 1.पहली सफेद रंग जिस पर बिडला सुगर लिखा है में 12 पैकेट, 2. दूसरी मटमैला रंग जिस पर WHITE CRYSTAL लिखा है में 12 पैकेट, 3. तीसरी सफेद रंग की बोरी जिस पर बिडला सुगर लिखा है में 11 पैकेट, 4. चौथी सफेद रंग जिस पर WHITE CRYSTAL लिखा है मे 12 पैकेट, जिसमे प्रत्येक पैकेट का वजन 01-01 किलोग्राम अवैध गांजा कुल 47 किलोग्राम सूखा नाजायज गांजा बरामद हुआ।

अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताए कि हम लोग उडीसा/छत्तीसगढ से गांजा लाकर गांजे को चित्रकूट व अगल बगल के जनपदो के छोटे –छोटे दूकानदारों को लाभ लेकर बेचते है। बरामदशुदा गांजे की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ पर धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद वाहन को एमवी एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली प्रथम टीम-

1.उ0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रधान आपरेशनल यूनिट ए0एन0टी0एफ0 प्रयागराज

2. मुख्य आरक्षी राजेश यादव

3. मुख्य आरक्षी सत्येश राय

4. मुख्य आरक्षी धीरेन्द्र राय

5. आरक्षी आशीष यादव

6. आरक्षी नीरज पान्डेय

गिरफ्तार करन वाली द्वितीय टीम-

1.उ0नि0 श्री पंकज तिवारी थानाध्यक्ष बरगढ़

2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
3. मुख्य आरक्षी आदित्य कुमार
4.आरक्षी चालक सुलभ पटेल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा द्वारा अभियुक्तगण 1.तरुण मिश्रा पुत्र रामनरेश मिश्रा को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ 2. संजय मिश्रा पुत्र ललित मिश्रा को 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 3. रमाकान्त मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा को 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ कमासिन की तरफ बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर के सामने मुख्य मार्ग के बीचो बीच से गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्त ग्राम सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के निवासी है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगीः-
01 अदद तमंचा 315 बोर
05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा
2. उ0नि0 यू0टी0 नीतेश यादव
3..आरक्षी महेन्द्र कुमार
4.आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार
5. आरक्षी अतुल मिश्रा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा द्वारा अभियुक्तगण 1.तरुण मिश्रा पुत्र रामनरेश मिश्रा को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ 2. संजय मिश्रा पुत्र ललित मिश्रा को 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 3. रमाकान्त मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा को 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ कमासिन की तरफ बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर के सामने मुख्य मार्ग के बीचो बीच से गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्त ग्राम सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के निवासी है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगीः-
01 अदद तमंचा 315 बोर
05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा
2.उ0नि0 यू0टी0 नीतेश यादव
3..आरक्षी महेन्द्र कुमार
4.आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

5.आरक्षी अतुल मिश्रा

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जनपद चित्रकूट श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनांक 03.01.2025 कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 381/2020 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लालदेव पुत्र रामबहादुर निवासी अगोरी का बाजार थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ को न्यायालय उठने तक की सजा व 3100/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जनपद चित्रकूट श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनांक 03.01.2025 कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 996/2016 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हमने लिख कर डाल दिया तो पहले सुक्कू पुत्र शिवचरण यादव निवासी दुगवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2300/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त1.राजा पुत्र सत्यदेव निवासी खटवारा थाना राजापुर 2. संजय पुत्र संतोष 3. विनय कुमार पटेल पत्र छेदीलाल निवासी कंधवनिया 4. सुनील कुमार पुत्र नरेश विश्वकर्मा निवासी रामलीला मैदान कस्बा व थाना राजापुर 5.मणि शंकर पुत्र ननबुद निवासी बाबा घाट कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएस की कार्यवाही की गयी।